पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 –2208
दिनांक-08.09.2025

जोन-उत्तरी /थाना बीकेटी

- **सर्विलांस/क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना बीकेटी, थाना इटौंजा की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**
- **02 शातिर अन्तर्जनपदीय दोपहिया वाहन चोरों/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 11 अदद मोटरसाईकिल व अन्य सामान बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.09.2025 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव, उ0नि0 श्री आनन्द कुमार, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र मिश्रा, उ0नि0 श्री शुभम सिंह, म0उ0नि0 सुश्री सृष्टि निगम,मय हमराहियान थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की बायोटेक नेटवर्किंग फैसलेटी केन्द्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के बाउन्ड्री के पास थाना क्षेत्र बीकेटी,लखनऊ के पास दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाईकिल के पार्ट बेचने की बात कर रहे था जल्द की जाये तो पकड़ जा सकते है, मुखबिर खास द्वारा बताये गये स्थान से 02 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।
पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पुछा तो व्यक्तियों द्वारा क्रमश- 01-वीरु उर्फ जावेद पुत्र मैकू निवासी मूल पता पूर्वी सिधौली महोल्ला संतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर वर्तमान पता ग्राम सैदीपुर थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष 02-जान मोहम्मद पुत्र मो0 यासीन ग्राम मोज्जमपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष बताया गया।
कड़ाई से पुछताछ करने पर वीरू उर्फ जावेद व जान मोहम्मद उपरोक्त की निशानदेही गिरफ्तार स्थान से 100 मीटर आगे झाड़ियों से कुल 11 अदद मोटरसाईकिल, 02 अदद इंजन मोटरसाईकल, 03 अदद चेचिस मोटरसाईकिल, एक सफेद प्लास्टिक के सील सर्व मोहर कट्टे में 04 अदद मोटरसाईकिल खोलने वाला पाना (रिंच), स्क्रु ड्राइवर तथा उसके पुर्जे, 350/- रुपये नकद बरामद हुए है

बरामद मोटसाईकिल में से

01-मोटरसाईकिल UP32KV1511 सम्बन्धित मु0अ0सं0 365/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी,
02-मोटरसाईकिल संख्या UP32DY5207 सम्बन्धित मु0अ0सं0 371/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी
03-मोटरसाईकिल संख्या UP32MZ0596 सम्बन्धित मु0अ0सं0 370/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी
04-मोटर साईकिल संख्या UP32BJ0880 सम्बन्धित मु0अ0सं0 160/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना इटौंजा पर अभियोग पंजीकृत होना पाया गया।

अन्य बरामदगी मोटर साइकिल के आधार पर मु0अ0सं0 374/2025 धारा 317(2)/318(4)/317(4) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री शेषमणि मिश्र के द्वारा सम्पादित की जा रही है। उपरोक्त वाहनों को थाना स्थानीय पर सुरक्षित खड़ा कराया गया है ।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्तगण द्वारा मोटर साइकिल चोरी कर गाड़ियो को औने पौने दाम मे बेच देना तथा तेजी से धन कमाना और खर्च करना

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1.वीरु उर्फ जावेद पुत्र मैकू निवासी मूल पता पूर्वी सिधौली महोल्ला संतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर वर्तमान पता ग्राम सैदीपुर थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष

2. जान मोहम्मद पुत्र मो0 यासीन ग्राम मोज्जमपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष (मोटर साइकिल रिपैरिंग)

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 371/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ,
2. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ,
3. मु0अ0सं0 370/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ,
4. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना इटौंजा लखनऊ
5. मु0अ0सं0 374/2025 धारा 317(2)/318(4)/317(4) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ (**पंजीकृत अभियोग)**

05-बरामदगीः-

- 02 अदद इंजन मोटरसाईकल,
- 03 अदद चेचिस मोटरसाईकिल,
- 04 अदद मोटरसाईकिल खोलने वाला पाना(रिंच),
- 01 अदद स्क्रु ड्राइवर व 01 अदद, प्लास, 01 अदद मोबाइल,
- मोटरसाईकिल UP32KV1511 सम्बन्धित मु0अ0सं0 365/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी
- मोटरसाईकिल संख्या UP32DY5207 सम्बन्धित मु0अ0सं0 371/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी
- मोटरसाईकिल संख्या UP32MZ0596 सम्बन्धित मु0अ0सं0 370/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बीकेटी
- मोटर साईकिल संख्या UP32BJ0880 सम्बन्धित मु0अ0सं0 160/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना इटौंजा
- हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल वाहन संख्या UP32DK 3168
- हीरो एच एफ डीलक्स मोटर साईकिल नम्बर UP41AU5971
- हीरो होण्डा एचएफ डीलक्स मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP32KB5123
- हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल संख्या UP34 BE6421
- हीरो स्पलेण्डर प्रो मोटर साईकिल संख्या UP34AB4937
- हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल नम्बर UP32MZ0596
- हीरो स्पलेण्डर प्रो मोटर साईकिल संख्या UP32FQ6559
- बरामदगी 350/- रूपये

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

क्राइम/सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी	**थाना बीकेटी पुलिस टीम**
1.हे0का0 नदीम	1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव
2.हे0का0 अवधेश गिरी	2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार
3.हे0का0 संतोष कुमार	3. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र मिश्रा
4.हे0का0 अमित कुमार गौतम	4. उ0नि0 श्री शुभम सिंह
5.का0 विशेष दुहुण	5. म0उ0नि0 सुश्री सृष्टि निगम
6.का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	6. हे0का0 आशीष सिंह
थाना -इंटौजा पुलिस टीम	7. का0 सचिन यादव
01-उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय थाना	8.का0 अम्ब्रीश सिंह
02-हे0का0 मो0 जाहिद	9. का0 पारस कुमार
	10.का0 नितिन कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2209
दिनांक-08.09.2025

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- काकोरी क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 132(19)/2025 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 08.09.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
काकोरी	1	132(19)/2025	राजा यादव उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र बबलू यादव निवासी नरौना, थाना काकोरी, लखनऊ	1	515/2021	147/323/504/506 IPC	काकोरी	06 माह
				2	702/2021	379/411 IPC	काकोरी	
				3	111/2022	379/411 IPC	काकोरी	
				4	271/2022	379/411 IPC	काकोरी	
				5	71/2024	323/504/506 IPC	काकोरी	
				6	491/2024	115(2)/190/109(1)/191(2)/191(3)/352/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट	काकोरी	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2212
दिनांक-08.9.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किय गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 03.09.2025 को वादी श्री दीपक सिंह पुत्र स्व0- लल्लू सिंह (कनिष्ठ लिपिक) पता प्रधानमंत्री आवास योजना लखनऊ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम 01.मो0 तालिब पुत्र मो0 इस्लाम निवसी 538ख/729 अलीनगर निकट बडी पकडिया थाना मदेहगंज लखनऊ , 02. अनबर अली के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री हिमांशु द्विवेदी द्वारा की जा रही है।

दिनांक 08.9.2025 को उ0नि0 हिमांशु द्विवेदी उ0नि0 संतोष यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अनवर असलम पुत्र सैय्यद मोहम्मद अहमद नि0 गौघाट बताशे वाली गली हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु तलाश पतारसी की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनवर असलम उपरोक्त को समतामूलक चौराहे के पास ताज होटल की तरफ गोमतीनगर से दिनांक 08.09.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- अनवर असलम पुत्र सैय्यद मोहम्मद अहमद नि0 गौघाट बताशे वाली गली हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष

03-अपराध का उद्देश्य-

अभियुक्त द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर आम जनमानस से धोखाधडी करते हुए धनराशि प्राप्त कर अपराध कारित करते थे।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1- मु0अ0सं0 415/2025 धारा-318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 हिमांशु द्विवेदी थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. उ0नि0 संतोष यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2213
दिनांक- 08.09.2025

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोड़कर बीमार बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को सूचना प्राप्त हुयी है कि सेक्टर एच जानकीपुरम में म0न0 3/67 में एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति मंसाराम चौरसिया अकेले घर में रहते है और कोई रिस्पांस नही कर रहें है दूध का पैकेट व पेपर घर के गेट पर पड़ा हैं अभी तक नही उठाये है।

इस सूचना पर उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव मय हमराही पुलिस बल के मौके पर पहूंचे तो उक्त मकान में लगे चैनल गेट अन्दर की तरफ से ताला बन्द मिला परिजनों की जानकारी करके परिजनों को सूचना दी गयी तथा पड़ोसियों के सहयोग से घर का ताला तोड़कर वृद्ध व्यक्ति के पास पहूंचे तो उक्त वृद्ध काफी बिमार स्थिति में अपने कमरे के फर्स पर पड़े थे उठ बैठ नही पा रहें थे।

जिन्हे ईलाज हेतु पूजा हास्पिटल में भर्ती कराया गया। जिनका ईलाज चल रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2215
दिनांक- 08.09.2025

जोन मध्य/ थाना गौतमपल्ली

- **UPSSSC PET परीक्षा में फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों से अन्य परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

1.संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्री अमित कुमार वर्मा के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री आशीष श्रीवास्तव व अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्रीमती ममता रानी चौधरी के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज श्री विकास जायसवाल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गौतमपल्ली श्री रत्नेश सिंह की पुलिस टीम को महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी । थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इन्टर कालेज जियामऊ लखनऊ पर आयोजित प्रारम्भिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 में कालेज द्वारा सूचना प्राप्त हई कि एक अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान बनाकर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है कि इस सूचना पर मौके पर उपस्थित पुलिस बल व कालेज प्रबन्धन द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम रवीश कुमार पुत्र स्व0 फकीरा प्रसाद निवासी ससवहना थाना कसार जनपद शेखपुरा बिहार बताया जो सुमित यादव पुत्र राजमनी यादव के स्थान पर प्रारम्भिक अहर्ता परीक्षा दे रहा था जिसके पास सुमित यादव का आधार कार्ड जिस पर रवीश कुमार की फोटो लगी हुई थी व प्रवेश पत्र बरामद किया गया जिसकी जानकारी करने पर फर्जी पाया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना गौतमपल्ली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 056/2025 धारा 61(2)/319(2) /318(4) /338 /336(3)/340(2) बीएनएस व 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 में पंजीकृत किया गया

अभियुक्त से पूछतांछ के दौरान पाया गया रवीश कुमार अपने अन्य साथियों डा0 अमित गुप्ता व विकास कुमार व अन्य साथी के साथ मिलकर साल्वर गिरोह चला रहा है। श्रीन पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देशन में 03 टीम का गठन किया गया जिसमें डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम भी शामिल थी। इन टीमों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त दोनो अभियुक्तगणों अमित गुप्ता पुत्र स्व0 जवाहर लाल गुप्ता निवासी सोनाडेह थाना घोसी जिला मऊ व विकास कुमार ताती पुत्र प्रेमी ताती निवासी ग्राम व पोस्ट अमारी थाना खैरा जनपद जमुई, बिहार को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 04 अदद मोबाइल व 02 एडमिट कार्ड व मूल ओएमआर की कार्बन कापी बरामद की गयी।

पूछताछ के दौरान पाया गया कि अभियुक्त अमित गुप्ता सीएचसी बांसडीह जनपद बलिया में मेडिकल आफीसर के रुप में तैनात है। अभियुक्त अमित गुप्ता व विकास ताती के मोबाइल फोन के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा बड़ी धनराशि लेकर साल्वर गिरोह चलाया जा रहा है अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया जायेगा।

02-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगणो द्वारा बेरोजगार युवकों से पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड व एडमिट कार्ड बनाकर उनके स्थान पर स्वयं व अन्य लोगों को बैठाकर परीक्षा पास कराने के नाम पर धन उगाही करना

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 056/2025 धारा 61(2)/319(2) /318(4) /338 /336(3)/340(2) बीएनएस व 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. रवीश कुमार पुत्र स्व0 फकीरा प्रसाद निवासी ससवहना थाना कसार जनपद शेखपुरा बिहार
2. अमित गुप्ता पुत्र स्व0 जवाहर लाल गुप्ता निवासी सोनाडेह थाना घोसी जिला मऊ
3. विकास कुमार ताती पुत्र प्रेमी ताती निवासी ग्राम व पोस्ट अमारी थाना खैरा जनपद जमुई, बिहार।

05-बरामदगी

- 04 अदद मोबाइल फोन
- 02 अदद कूटरचित प्रवेश पत्र
- मूल ओएमआर की कार्बन कापी
- 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना गौतमपल्ली	**थाना हजरतगंज**	**सर्विलांस टीम डीसीपी मध्य**
1. रत्नेश सिंह प्रभारी निरीक्षक	1- उ0नि0 इरफान अहमद	1. उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 अमित कुमार		2. हे0का0 आशीष मिश्रा
3. उ0नि0 किशनपाल		3. का0 बलवन्त
4-का0 संदीप गुप्ता		

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2210
दिनांक-08.09.2025

जोन-मध्य / थाना-हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा 25 हजार रूपये का इनामिया 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर दिनांक 17.08.2025 को वादिनी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 111/2025 धारा 69/115(2)/333/351(3)/352/351 बी0एन0एस0 बावत प्रतिवादीगणो द्वारा वादिनी के साथ घर में घुसकर मारपीट करना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना व अभियुक्त शशिकान्त शर्मा द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शशिकान्त शर्मा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु कई प्रयास किये गये थे किन्तु गिरफ्तार नहीं हो सका था और लगातार अपने आप को छिपाये हुये था। अभियुक्त शशिकान्त शर्मा उपरोक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था जिस पर पुलिस उपायुक्त, मध्य द्वारा अभियुक्त शशिकान्त शर्मा पर 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

दिनांक 07.09.2025 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम तलाश पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर नामित / वांछित अभियुक्त शशिकान्त शर्मा पुत्र सुन्दर लाल शर्मा नि0 भरोसवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को जय नारायण रोड के पास गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्त शशिकान्त शर्मा उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अभियुक्त का विवरण-

1. शशिकान्त शर्मा पुत्र सुन्दर लाल शर्मा नि0 भरोसवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष।

03-अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 69/115(2)/333/351(3)/352/351 बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04-अभियुक्त शशिकान्त शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0303/2020 धारा 188 भा0द0वि0 व 13 जुंआ अधि0 थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. व0उ0नि0 श्रीराम गौतम, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. हे0का0 आशीष शुक्ला, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2206
दिनांक-08.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **काकोरी पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 01 शातिर अभियुक्त को अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में, 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर अधबना, 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर अधबना, 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस .32 बोर, 01 अदद भट्टी मय पाइप, 01 अदद मशीन सिकंजा, 01 अदद हैण्ड ड्रील मशीन, 02 अदद ग्राइण्डर मशीन चालू हालत में मय वायरिग तार व अर्धनिर्मित सामान एवं तमंचा तैयार करने के उपकरण व सामग्री बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.09.2025 को काकोरी पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति वाहन वाँछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि मुखविर खास ने आकर बताया कि ग्राम नईबस्ती बहरू में एक व्यक्ति अपने साथी के साथ अपने मकान के बगल में स्थित खण्डहर में अवैध रूप से असलहे बना रहा है। काकोरी पुलिस टीम नईबस्ती में मन्दिर के पास पहुँची, मुखबिर के द्वारा बताये गये खण्डहर मकान **(जोकि अभियुक्त दिलीप उर्फ सन्तूलाल)** जिसमें अवैध असलहे बनाने का कार्य किया जाता है । पुलिस टीम द्वारा खण्डहर के अन्दर घुसकर देखा तो एक कच्ची दीवार के आड़ में दो व्यक्ति अवैध असलहे, बनाने में लगे हुए है जिनके बगल में असलहे व कुछ अधबने असलहे व असलहे बनाने के विभिन्न उपकरण जैसे भट्टी, हैण्ड ग्राइन्डर, सिकंजा मशीन, रेती, ब्लेड, हथौड़ा, आरी, प्लास, समसी, रिंच व तमंचे बनाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामान रखा हुआ है। सामने बैठे व्यक्ति द्वारा एक अधबने तमंचे को रेती से घीसा रहा था व दूसरे व्यक्ति द्वारा एक अधबने तमंचे पर कार्य कर रहा था। पुलिस टीम को देखकर मौके से एक व्यक्ति भाग गया। तथा दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति से भागने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि भागने वाले व्यक्ति का नाम मिन्टू निवासी अज्ञात है ।

पकड़ हुए व्यक्ति द्वारा अपना नाम दिलीप उर्फ सन्तूलाल पुत्र गंगादीन निवासी ग्राम नईबस्ती थाना काकोरी लखनऊ बताया, जिसके पास से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में, 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर अधबना, 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर अधबना, 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस .32 बोर, 01 अदद भट्टी मय पाइप, 01 अदद मशीन सिकंजा, 01 अदद हैण्ड ड्रील मशीन, 02 अदद ग्राइण्डर मशीन चालू हालत में मय वायरिंग तार व अर्धनिर्मित सामान एवं तमंचा तैयार करने के उपकरण व सामग्री बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 338/2025 धारा- 3/5/25 आयुध अधि0 बनाम दिलीप उर्फ सन्तूलाल निवासी नई बस्ती थाना काकोरी लखनऊ व मिन्टू पंजीकृत किया गया । अभियुक्त दिलीप उर्फ सन्तूलाल उपरोक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुआ गिरफ्तार किया गया, तथा फरार अभियुक्त मिन्टू की गिरफ्तार हेतु तलाशी की जा रही है, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. दिलीप उर्फ सन्तूलाल पुत्र गंगादीन निवासी ग्राम नईबस्ती थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0- 338/2025 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना काकोरी लखनऊ

04-बारमदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में
- 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर अधबना,
- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर अधबना,
- 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर,
- 02 खोखा कारतूस .32 बोर,
- 01 अदद भट्ठी मय पाइप,
- 01 अदद मशीन सिकंजा,
- 01 अदद हैण्ड ड्रील मशीन,
- 02 अदद ग्राइण्डर मशीन चालू हालत में मय वायरिंग तार व
- अर्धनिर्मित सामान एवं तमंचा तैयार करने के उपकरण व सामग्री बरामद।

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश राठौर कोतवाली काकोरी लखनऊ
2. अति0नि0 श्री कमलेश कुमार कोतवाली काकोरी लकनऊ
3. उ0नि0 श्री अंकित यादव कोतवाली काकोरी लखनऊ
4. उ0नि0 श्री राजकुमार कोतवाली काकोरी लखनऊ
5. उ0नि0 श्री उस्मान खाँन कोतवाली काकोरी लखनऊ
6. उ0नि0 श्री मोबिन अली कोतवाली काकोरी लखनऊ
7. उ0नि0 श्री सुमित तिवारी कोतवाली काकोरी लखनऊ
8. का0 रोहित यादव कोतवली काकोरी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2211
दिनांक- 08/09/2025

जोन-उत्तरी /थाना सैरपुर

- **थाना सैरपुर लखनऊ पुलिस की एंटीरोमियो टीम व पालीगान मोबाइल के कर्मचारीगण द्वारा अथक प्रयास कर महिला का खोया पर्स तलाश कर किया गया महिला को सुपुर्द।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनाँक 08/09/2025 को थाना स्थानीय से पालीगान 177 के कर्मचारीगण व एंटीरोमियों एंव महिला सशक्तिकरण पुलिस टीम छठामील बाजार में मामूर होकर देखभाल क्षेत्र रोक थाम जुर्म जरायम कर फेस 05 के अन्तर्गत महिला आरक्षीगण द्वारा महिला जागरुकता कार्यक्रम कर यू0पी0 पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा था तथा उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा था।

आगन्तुका सुश्री उमा पुत्री राधे श्याम निवासी ग्राम उमरभारी थाना सैरपुर लखनऊ द्वारा महिला कर्मचारीगण को सूचना दी गयी कि मैं घर से बाजार फल खरीदने के लिए आयी थी कि छठामील बाजार में मेरा पर्स कही गिर गये जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड , डी0एल0 व कुछ रुपये लगभग 1500 -2000 रु थे जो कही गिर गये है।

उक्त सूचना को गम्भीरता से लेकर महिला आरक्षीगण द्वारा पालीगान 177 के कर्मचारीगण का सहयोग लेकर अल्प समय में ही आगन्तुका का खोया पर्स खोज कर महिला को सुपुर्द किया गया महिला द्वारा अपना खोया पर्स पाकर पुलिस के द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही एंव सार्थक प्रयास की भरि भूरि प्रशंसा करते हेतु अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान की।

02-तलाश करने वाली पुलिस टीम

1. म0का0 सुनहरी सिंह
2. म0का0 साधना सिंह
3. म0का0 मधू देवी
4. का0 दिलीप कुमार द्विवेदी
5. का0 राजेश कुमार आर्या

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2207
दिनांक- 08.09.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा 06 अन्तर्जनपदीय वाहन चोरों/अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियुक्तों को कब्जे से चोरी की 21 अदद मोटरसाईकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2025 को ठाकुरगंज पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति वाहन वाँछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि मुखविर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग, जो चोरी की गाडियों को एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के प्लान में है, चोरी की गाडियों सहित बरी रोड जंगल के पास उपस्थित है। इस सूचना का पुलिस द्वारा गम्भीरता से संज्ञान लिया गया व योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश दी गयी तो कुल 07 अभियुक्त को पकड़ लिया गया।

पकड़े हुए व्यक्तियो से पूछताछ की गयी तो क्रमशं अभियुक्तगणों ने अपना नाम 01. जुनैद, 02. अरस, 03. वंश गुप्ता, 04. राहुल गुप्ता, 05. सलमान, 06. जावेद व 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेते हुए राज्य के कई जनपदों से चोरी की कुल 20 बाइकों सहित मौके से गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि साहब हम मोटरसाइकिल चोरी करने के पश्चात चोरी किये गयी मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट बदल देते थे जिससे कि चेकिंग के दौरान पुलिस को गुमराह किया जा सके। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध कडी विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों को विवरण-

1. जुनैद पुत्र शहाबुद्दीन निवासी हरइया पोस्ट पुखरा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर उम्र 24 वर्ष हालपता-बम्बा सड़क पर इजहार के मकान में किराये पर अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. अरस पुत्र असलम निवासी-परसपुर मुगलनपुरवा थाना रेऊसा जनपद सीतापुर उम्र 21 वर्ष हालपता-किराये का मकान नाले के पास सज्जादबाग गैस गोदाम थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. वंश गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता निवासी-बड़ा चौराहा सदरपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष
4. राहुल गुप्ता पुत्र मायाराम गुप्ता निवासी-बड़ा चौराहा सदरपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष
5. सलमान पुत्र स्व0 इस्लाम खान नि0-जलालपुर निकट हनीफ फैक्टरी थाना बिसवां जनपद सीतापुर उम्र 28 वर्ष हालपता-किराये पर डीपी बोरा प्लाट निकट चाँद होटल हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ
6. जावेद पुत्र शहाबुद्दीन निवासी हरइया पोस्ट पुखरा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर उम्र 22 वर्ष हालपता-बम्बा सड़क पर इजहार के मकान में किराये पर अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ

01 बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को पुलिस संरक्षण में लिया गया।